

**पूर्व मध्य रेल
(कार्मिक विभाग)
कार्यालय आदेश सं०- 185/2024**

निम्नलिखित अस्थायी स्थानांतरण/पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने हेतु जारी किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम (श्री)	वर्तमान पद/कार्यस्थल	स्थानांतरण पर पदस्थापन स्थल
1	जंगीलाल साह	अवर लिपिक, लेवल-02, CSSH/Patna	1. इनका निजी अनुरोध पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित करते हुए कार्मिक विभाग/पूमरे/हाजीपुर में पदस्थापित किया जाता है। 2. इनका लियन व वरीयता पूर्व की तरह CSSH/Patna में अनुरक्षित रहेगा।

श्री जंगीलाल साह, अवर लिपिक, लेवल-02, CSSH/Patna अपने वर्तमान तैनाती स्थल से नियमानुसार उचित पहचान के साथ (आर.बी.ई. सं.- 229/2001 में दिए गए निर्देशानुसार) विरमित होकर अगली पदस्थापना हेतु महाप्रबंधक(का.)/पूमरे/हाजीपुर कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे।

चूँकि उक्त स्थानांतरण कर्मचारी के निजी अनुरोध पर है। अतः इसके लिए इन्हें किसी प्रकार की प्रशासनिक सुविधा जैसे पास/सिटीजी/अवकाश इत्यादि देय नहीं होगा।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

(रमेश कुमार)
सकाधि/समन्वय
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

संख्या :- ECR-HQ0PERS(TFRP)/15/2021 (C.N-135493)

दिनांक-13.08.2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुकाधि के सचिव - प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक(चिकित्सा)/पूमरे/हाजीपुर।
3. मुकाधि /प्र० के PS-II-मुकाधि /प्र० महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. चिकित्सा निदेशक/CSSH/पटना।
5. उपमुकाधि/आईआरडब्लू एवं एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर।
6. सकाधि/बिल/पूमरे/हाजीपुर।
7. सकाधि/एम.पी.पी.-नेट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. संबंधित कर्मचारी।


13/8/24
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर